



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112025-267413
CG-DL-E-07112025-267413

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4854]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2025/कार्तिक 13, 1947

No. 4854]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2025/KARTIKA 13, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2025

का.आ. 5009(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित व्यक्ति को उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित क्षेत्रों के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का पालन करने के लिए अधिकृत करती है, अर्थात:-

अनुसूची

पाइपलाइन का नाम	प्राधिकारी पद
(1)	(2)
अदानी पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड	श्री चंद्रकांत एस .सोलंकी, सेवानिवृत्त अतिरिक्त कलेक्टर (सिंचाई),
अदानी पोर्ट और एसईजेड पाइपलाइन नेटवर्क कच्छ ज़िला, गुजरात राज्य।	

2. यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/37/2025-इएक्सपीएल- पीएनजी(ई-54446)]

सचिन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st October, 2025

S.O. 5009(E).—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby Authorizes the person mentioned in column (2) of the Schedule given below to perform the functions of the Competent Authority under the said Act, in respect of the areas mentioned in column (3) of the said Schedule namely :-

SCHEDULE

Name of Pipeline	Designation of the Authority
(1)	(2)
M/s. Adani Port & SEZ Ltd Adani Port & SEZ Pipeline Network in Kachchh District, Gujarat State.	Shri Chandrakant S. Solanki, Retd. Additional Collector (Irrigation),

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. Expl-13011(26)/37/2025-EXPL-PNG (E-54446)]

SACHIN KUMAR, Under Secy.